

की अवधि 10 दिनों के लिए बढ़ा दी जा रही है।
इस प्रक्रिया के दि. 10.10.24 को प्रारंभ है।

04/10/24

प्रक्रिया प्रेश हुई। आमंत्रण अनुपस्थित।
स्वयं प्रार्थना की अनुपस्थित। तीन
बार कोशिश कर आवाज की गई लेकिन
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रार्थना
के विषय अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8
CP 0 में (अदम्य क्षमता, अदम्य योग्यता में)
प्रकार का dismiss किए जाने के
आदेश दिए जाते हैं। गुणावमुदा पर
रिपॉर्त विषय विना, प्रकार फैलवमुदा
दोहरा नंबर से काम दोहरा बड
तकालिक दायित्व मूल बड के साथ
संलग्न है।



[Signature]
04/10/2024
उपखण्ड अधिकारी

पिठावा, जिला झालावाड़ (राज०)

